PHARMACY COUNCIL OF INDIA

E - MAIL : registrar@pci.nic.in
WEBSITE : www.pci.nic.in
Telephone : 011-61299900
011 - 61299901, 011 - 61299902
011-61299903

NBCC Centre, 3rd Floor
Plot No.2, Community Centre
Maa Anandamai Marg
Okhla Phase I
NEW DELHI - 110020

DECISION LETTER

Institute Name / Inst ID	R K Pharmacy College Kashipur Surai Sathiaon Azamgarh / PCI-1664
State	UTTAR PRADESH
District	AZAMGARH
Sub-District	Azamgarh
Village/Town/City	KASHIPUR SURAI
Pin Code	276406

Sir / Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

Course	Name of Affiliation body/University	Decision	Approval Status	Approval Upto	Approval Intake
B.Pharm	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	B.Pharm Extend approval upto 2023-2024 academic session for 100 admissions for B.Pharm course.	Approved	2023-2024	100
D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	D.Pharm Extend approval upto 2023-2024 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.	Approved	2023-2024	60
M.Pharm Pharmaceutics	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	Regarding introduction of new M.Pharm course- It was noted that institution has failed to submit consent of affiliation of examining authority for M.Pharm Pharmacognosy, M.Pharm Pharmaceutical Chemistry and M.Pharm Pharmaceutics course. In view above, It was decided to instruct the institution to submit the above compliance within 7 days through dashboard.	Not Approved	2023-2024	0
M.Pharm Pharmaceutical Chemistry	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	Regarding introduction of new M.Pharm course- It was noted that institution has failed to submit consent of affiliation of examining authority for M.Pharm Pharmacognosy, M.Pharm Pharmaceutical Chemistry and M.Pharm Pharmaceutics course. In view above, It was decided to instruct the institution to submit the above compliance within 7 days through dashboard.	Not Approved	2023-2024	0
M.Pharm Pharmacology	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	M.Pharm M.Pharm (Pharmacology) - 15 The last approval for 2022-23 academic session is restored and vide notification dt. 22.10.2022 read with 3.11.2022 instructed the institutions to submit affidavit. In view of above, it was decided to verify the said affidavit during the inspection process of 2023-2024 academic session.	Approved	2023-2024	15
M.Pharm Pharmacognosy	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	Regarding introduction of new M.Pharm course- It was noted that institution has failed to submit consent of affiliation of examining authority for M.Pharm Pharmacognosy, M.Pharm Pharmaceutical Chemistry and M.Pharm Pharmaceutics course. In view above, It was decided to instruct the institution to submit the above compliance within 7 days through dashboard.	Not Approved	2023-2024	0

Date 07th Jun 2023

For
(I/C) Registrar-cum-Secretary
PCI

Copy to

i) Registrar of the University

ii) Principal of the college

iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society

iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at www.pci.nic.in

Submit the compliance to PCI

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

A Statutory body under Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

E - MAIL : registrar@pci.nic.in
WEBSITE : www.pci.nic.in
Telephone : 011-61299900
011 - 61299901, 011 - 61299902
011-61299903

NBCC Centre, 3rd Floor
Plot No.2, Community Centre
Maa Anandamai Marg
Okhla Phase I
NEW DELHI - 110020

DECISION LETTER

Institute Name / Inst ID	R K Pharmacy College Kashipur Surai Sathiaon Azamgarh / PCI-1664
State	UTTAR PRADESH
District	AZAMGARH
Sub-District	Azamgarh
Village/Town/City	KASHIPUR SURAI
Pin Code	276406

Sir / Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

Course	Name of Affiliation body/University	Decision	Approval Status	Approval Upto	Approval Intake
B.Pharm	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	116/CC (29.7.2022) decided as under - B.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 100 admissions for B.Pharm course.	Approved	2022-2023	100
D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	116/CC (29.7.2022) decided as under - D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.	Approved	2022-2023	60
M.Pharm Pharmacology	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	116/CC (29.7.2022) decided as under - M.Pharm M.Pharm (Pharmacology) - 06 (Reduce from 15 to 06 - as teaching staff is not qualified as per M.Pharm Regulations) Further 379th Executive Committee meeting held on 15.10.2022 decided wherever admission intake was reduced in 2022-2023 academic session in pharmacy course(s), the previous approved intake during 2021-2022 academic session be restored for 2022-2023 academic session also. In this regard, the Council has uploaded circular dt. 22.10.2022 and clarification circular dt. 3.11.2022 on Council's website.	Approved	2022-2023	15

Date 01st Feb 2023

For
(I/C) Registrar-cum-Secretary
PCI

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

Copy to

i) Registrar of the University

ii) Principal of the college

iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society

iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at www.pci.nic.in

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

E-mail : registrar@pci.nic.in
Website : www.pci.nic.in
Contact : 011-61299900/01/02/03

NBCC Centre, 3rd Floor Plot No.2, Community Centre
Maa Anandamai Marg Okhla Phase I
NEW DELHI - 110020

DECISION LETTER

Institute Name / Inst ID :R K Pharmacy College Kashipur Surai Sathiaon Azamgarh/PCI-1664

State :UTTAR PRADESH

District :AZAMGARH

Sub-District :Azamgarh

Village/Town/City :KASHIPUR SURAI

Pin Code :276406

Sir / Madam

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

Course	Name of Affiliation	Decision	Approval Status
B.Pharm	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	Regarding B.Pharm course Extension of approval upto 2021-2022 academic session for 100 admissions for B.Pharm course. (Raise in admissions from 60 to 100 from 2018-2019 academic session is already approved)	Approved
D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	Regarding D.Pharm course Extension of approval upto 2021-2022 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.	Approved
M.Pharm Pharmacology	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	M.Pharm (Pharmacology) -15	Approved

Date : 27th Aug 2021

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

For Archna Mudgal

© www.dgpm.nic.in

Registrar-cum-Secretary
PCI

Copy to:

i) Registrar of the University

ii) Principal of the college

iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society

iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at www.pci.nic.in.

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2025/8728 दिनांकः 27 अक्टूबर, 2025

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

R.K.PHARMACY COLLEGE,AZAMGARH, Azamgarh (233)

विषयः शैक्षिक सत्र 2025-26 की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 09.10.2025 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश **1/1123252/2025/16-1099/142/2025 दिनांक 26.10.2025** के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा **सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By PCI	Intake Approved For Affiliation
Bachelor of Pharmacy	Bachelor of Pharmacy	100	100	100
Master of Pharmacy	Pharmaceutics	15	15	15
Master of Pharmacy	Pharmacogonosy	15	15	15
Master of Pharmacy	Pharmacology	15	15	15
Master of Pharmacy	Pharmceutical Chemistry	15	15	15

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैः-

1. नए विषय में सम्बद्धता हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नही किया जायेगा जब तक सम्बद्धता तथा पूर्ववर्ती सम्बद्धता की शर्ते पूरी तरह से पूर्ण की गयी है। (विनियमः 6.11)

2. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एंव अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा। (विनियमः 6.12)

3. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्करों तथा उपकरणों के साथ अपने भवनों, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसके अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। (विनियमः 6.13)

4. जब तक किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के प्रचार्य/निदेशक का पद रिक्त होता है तो प्रबंधतत्रं किसी भी अध्यापक को तीन माह की अवधि अथवा किसी नियमित प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति तक जो कि पूर्वतर हो, प्राचार्य और निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा पूर्ण में ही कोई नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है या इस प्रकार का कोई प्राचार्य पद को धारण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक इस प्रकार के महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य

Signature Not Verified

Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number :
32ce1b406a113e[illegible]616fb5efa4d362ab
90d73829ff7337fd15d489e5269

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कोई नियमित प्राचार्य/निदेशक नहीं नियुक्त हो जाता है। (विनियमः 6.15)

5. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए आवश्यक रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की विवरणी उस रूप में जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हो उपस्कृत करेगा। (विनियमः 6.16क)

6. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप पर महाविद्यालय से सम्बन्धित तथ्यों की प्रविष्टि करना आवश्यक होगा। (विनियमः 6.16ख)

7. जहाँ कार्य परिषद अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करवाना चाहते है, वहाँ महाविद्यालय ऐसे निरीक्षण के परिणामों को उस पर अपने विचारों के साथ संसूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र को निर्देशित कर सकता है। (विनियमः 6.17क)

8. जहाँ सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्यपरिषद के समाधानप्रद कार्यवाही नहीं करता है, वहाँ वह प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा दिये गये अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे और प्रबन्धतत्रं ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर कार्यकारी परिषद विनियम 6.28 के अधीन उसके अनुसार कार्यवाही कर सकता है। (विनियमः 6.17ख)

9. महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के कर्मचारी के सभी पद जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त हो जाते हैं, से सम्बन्धित सूचनायें उसके रिक्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय को संसूचित कर दी जायेगी। (विनियमः 6.18)

10. फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया की पूर्व अनुमति के बिना एक सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी कक्षा अथवा अनुभाग में छात्रों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नही होगी। (विनियमः 6.19)

11. कार्यकारी परिषद सम्बद्ध महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष के प्रवेश को एक संख्या तक, जो वह किसी भी शैक्षिक वर्ष में महाविद्यालय द्वारा की गयी गलतियों के लिए शक्ति के तौर पर समझता है, घटा सकता है अथवा महाविद्यालय को आर्थिक रूप से भी दण्डित किया जा सकता है। (विनियमः 6.20)

12. सम्बद्धता की निरन्तरता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की निरन्तर उपलब्धि पर निर्भर करेगी। (विनियमः 6.21)

13. यदि कोई महाविद्यालय लगातार तीन वर्षो तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी भेजने में असफल होता हे तो उसकी सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी। (विनियमः 6.22)

14. कार्यपरिषद किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश न लेने के लिए निर्देशित कर सकती है, यदि कार्यपरिषद की राय में सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तो की अवहेलना की गई हो फिर भी यदि कार्य परिषद के समाधानप्रद रूप में शर्ते पूरी कर दी जाती है तो कार्यपरिषद की पूर्व अनुमति से कक्षाये पुनः प्रारम्भ की जा सकती है। (विनियमः 6.23)

15. यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की अवहेलना करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तो को पूरा न करें तो कार्यपरिषद कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्यपरिषद के समाधानप्रद रूप में शर्ते पूरी न कर ली जाय। (विनियमः 6.24)

16. यदि सम्बद्ध महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्देशों का पालन करने या मान्यता की शर्तो को पूरा करने में विफल रहता है अथवा भारी कुप्रबन्ध के कारण से कार्यपरिषद की राय में महाविद्यालय को इस तरह की सम्बद्धता से वंचित कर दिया जाय, तो कार्यकारी परिषद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को किसी विषय की उपाधि के लिए मान्यता के विशेषाधिकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से वंचित कर सकती है। (विनियमः 6.25क)

17. यदि स्टॉफ के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे विनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे और महाविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा अपेक्षित कार्यवाही न करे तो सम्बद्ध महाविद्यालय की मान्यता इस विनियम के अन्तर्गत सम्बद्धता वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा। (विनियमः 6.25ख)

18. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/ विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

Signature Not Verified
Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number :
32ce1b406a113e[illegible]616fb5efa4d362ab
90d73829ff7337fd15d489e5269

विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

19. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

20. फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्रता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

21. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानो की फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानो की सम्बद्धता; तद्कार्यवाही के अधीन होगी।

22. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश (अनुसूचित जातियो/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

23. विभिन्न संवर्गो के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

24. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।

25. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यो हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखननऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

Signature Not Verified
Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number :
32ce1b406a113e[illegible]616fb5efa4d362ab
90d73829ff7337fd15d489e5269

6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

7. गार्ड फाइल।

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

Signature Not Verified
Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 201010 Country : IN
Serial Number :
32ce1b406a113e[illegible]616fb5efa4d362ab
90d73829ff7337fd15d489e5269

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2024/5458 दिनांकः 27 दिसंबर, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

R.K.PHARMACY COLLEGE,AZAMGARH (233)

विषयः शैक्षिक सत्र 2024-25 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 833903/2024/16-1099/1279/2019 दिनांक 26 दिसंबर, 2024 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा **अस्थाई सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By PCI	Intake Approved For Affiliation
B.Pharm	B.Pharm	100	100	100
M.Pharm	Pharmaceutics	15	15	15
M.Pharm	Pharmacogonosy	15	15	15
M.Pharm	Pharmacology	15	15	15
M.Pharm	Pharmceutical Chemistry	15	15	15

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैः-

1. उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन प्द्धति के मानदण्डों के सत्यापन हेतु संस्थान का यथावश्यक औचक निरीक्षण कराया जा सकता है तथा यदि संस्थान को मापदण्डो के अनुसार नही पाया जाता है तो विश्वविद्यालय/शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

2. संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

3. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

Validity unknown

Digitally Signed by : DHARMENDRA PAL SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number :
f17417ae540[illegible]7c1[illegible]310f212c9215
599b4475900[illegible]9a57[illegible]628ba[illegible]5eed

Dir
R.K. Pharm
Kashipur,S
Azamgarh,

4. बी.टेक./एम.टेक./बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण न करने की दशा में एवं ए0आई0सी0टी0ई0/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा मे विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

5. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओ में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

6. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

7. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. संस्थान द्वारा नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानको के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण होना चाहिए। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षक नियुक्त है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।

9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियमः 6.15)

10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोडने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियमः 6.18)

11. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियमः 6.25बी.)

12. लैब एवं उसके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियमः 6.13)

13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियमः 6.16)

14. संस्थान द्वारा शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

16. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानो की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानो की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।

Validity unknown

Digitally signed by: DHARMENDRA PAL SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 2[illegible] Country : IN
Serial Number : f17417ae5404[illegible]310f212c9215 599b4475900[illegible]5eed

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276406

17. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश (अनुसूचित जातियो/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

18. विभिन्न संवर्गो के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशो/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।

19. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।

20. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यो हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखननऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6 स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

Director
R.K. Pharmacy College
Kashipur,Surai,Sathiaon
Azamgarh,(UP)- 276405

Validity unknown
Digitally Signed by : DHARMENDRA PAL SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 282002 Country : IN
Serial Number : f17417ae540447c1[illegible]310f212c9215599b4475900e9a57[illegible]628ba515eed